

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील डिक्री/टी0ए0/1084/2006/झुञ्झुनू

जगदीश पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1. रामपत पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झुनू।

2. राजस्थान सरकार

रेस्पोंडेंट

2. अपील डिक्री/टी0ए0/1085/2006/झुञ्झुनू

जगदीश पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1. रामपत पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झुनू।

2. जमादार पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झुनू।

3. राजस्थान सरकार

रेस्पोंडेंट

3. अपील डिक्री/टी0ए0/1086/2006/झुञ्झुनू

जगदीश पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1. रामपत पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झुनू।

2. राजस्थान सरकार

रेस्पोंडेंट

4. अपील डिक्री/टी0ए0/1087/2006/झुञ्झनू

जगदीश पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झनू।

अपीलांट

बनाम

1. रामपत पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झनू।
2. जमादार पुत्र हेतराम जाति अहिर, निवासी मानपुरा, उप तहसील खेतडी हाल तहसील बुहाना जिला झुञ्झनू।
3. राजस्थान सरकार

रेस्प0

डी0बी0

**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य**

उपस्थिति:-

श्री ओ0एल0दवे, अभिभाषक अपीलांट
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्प0

निर्णय

दिनांक: 25.6.19

1. उपरोक्त चारों अपीलों अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय राजस्व अपील अधिकारी, झुञ्झनू दिनांक 29.11.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त चारों अपीलों में पक्षकार समान है व विवादित आराजी भी समान है तथा एक निर्णय दिनांक 29.11.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। इसलिए उपरोक्त चारों अपीलों को निस्तारण एक निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतिलिपि उपरोक्त चारों अपीलों में पृथक से लगायी जावे।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्प0/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, खेतडी के समक्ष एक वाद रेस्प0/वादी ने विरुद्ध प्रतिवादी/अपीलांट अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य है एवं संयुक्त खातेदार काश्तकार है और वादग्रस्त खसरा नं0 2116 रकबा 0.70 है0 में प्रत्येक का

1/2-1/2 हिस्सा है। इस प्रकार वादीगण को 1/2 हिस्स का खातेदार काश्तकारी घोषित किया जावे एवं भूमि का विभाजन कर अलग हिस्सा कायम किया जावे। प्रतिवादी/अपीलांट में जबाव दावा प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारान मे आपसी पारिवारिक मौखिक तकासमा हो रहा है जिसमें खसरा नं0 2117 व 2116 वादी के हिस्सेमें है और वाद प्रस्तुत करने से 25 वर्ष पहले से ही उपरोक्त तकासमा पर अकेला प्रतिवादी काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पक्षकारों के बहस सुनने के पश्चात प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की जाकर तत्पश्चात पक्षकारों की साक्ष्य आदि लेकर दिनांक 18.05.2001 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु निर्देशित कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.8.2001 को रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री भी जारी कर दी गयी। जिसके विरुद्ध प्रतिवादी ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । राजस्व अपील अधिकारी अपने आदेश दिनांक 26.12.2003 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2001 को निरस्त करते हुये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के साथ साथ तनकीवार निर्णय के निर्देश के साथ प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश की पालना में पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय में जाने पर दिनांक 11.03.2004 को पुनः प्राथमिक डिक्री जारी कर दिनांक 08.04.2004 को अंतिम रूप से डिक्री कर दी गयी। उक्त आदेश दिनांक 08.04.2004 व 11.03.2004 से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झनू के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गयी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झनू ने अपने निर्णय दिनांक 29.11.2005 से उक्त चारों अपीलें अस्वीकार कर दी। जिससे व्यथित होकर यह चारों द्वितीय अपीलें मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट व रेस्प0 दोनों भाई है और विवाद खसरा नं0 2116 जिसमें अपीलांट रामपत व रेस्प0 जगदीश के मध्य विवाद है और ख0न0 2117 का अपीलांट जगदीश व रेस्प0 रामपत के मध्य विवाद है। खसरा नं0 2116 व 2117 की भूमि बाहमी बंटवारे में अपीलांट के हिस्से में आई है वह तब से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। पक्षकारों के मध्य 25 वर्ष ही विभाजन हो चुका था ओर अब दोबारा विभाजन नहीं हो सकता है। विद्वान अभिभाषक ने बहस में आगे

कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट के बीच अन्य शामिल भूमियां भी हैं जिनके विभाजन के बिना केवल इन दो का आंशिक विभाजन नहीं हो सकता है अधीनस्थ न्यायालय ने इस संदर्भ में कोई विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध है। प्रकरण में दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकी नहीं बनायी गयी। तनकी केवल इस आधार पर बनायी गयी कि सह-खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी को विभाजन करवाने का अधिकारी है। तनकी आंशिक विभाजन एवं पूर्व में हुये विभाजन के तथ्य भी शामिल किये जाने चाहिए थे। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि दिनांक 11.03.2004 को जब प्राथमिक डिक्री खारिज कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया तब पूर्व के कुरेजात के आधार पर डिक्री नहीं दी जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से कुरेजात तैयार करवाकर प्राप्त करके पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर तत्पश्चात अंतिम डिक्री जारी की जानी चाहिए थी। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 17 से 20 जो बंटवारे के लिए बनाये गये हैं। उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का समान रूप से सभी पक्षकारों में मौके की स्थिति के अनुसार रास्ते को ध्यान में रखते हुये बंटवारा किया जाना चाहिए किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियम पर ध्यान दिये बिना निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात तहसीलदार स्वयं मौके पर जायेगा एवं नियम 18 स 21 की पालना में सभी काश्तकारों को नोटिस देने के पश्चात विभाजन करेगा। इस संबंध में 1995 आर०बी०जे० पेज 626 रतनलाल बनाम गंगाराम में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्राथमिक डिक्री की अपील होने पर राजस्व अपील अधिकारी ने तनकीवार निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने तनकीवार निर्णय देते हुये अंतिम डिक्री जारी की थी। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि खसरा नं० 2116 दोनों भाईया की खरीदी हुई भूमि है तथा खसरा नं० 2117 तीनों भाईयों ने खरीदी थी। यह पैतृक भूमि नहीं है और न ही पैतृक भूमि इस भूमि का को सरोकार है। उक्त भूमि पैतृक भूमि नहीं है पैतृक भूमि का वे अभी विभाजन नहीं चाहते हैं। खरीदी हुई भूमि का ही विभाजन चाहते हैं। सह खातेदार है इसलिए प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त इस

पर लागू नहीं होता है। जब भूमि खरीदी गई थी तब सभी भाई अलग रहते थे सभी ने अपनी निजी धनराशि से हिस्सा खरीद किया है। इसलिए विभाजन कराने के अधिकारी हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जब प्राथमिक डिक्री की अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया तो उसमें पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रकरण में पूर्व में पारित प्राथमिक डिक्री (जिसमें पूर्व में पारित विभाजन प्रस्तावों पर दोनों पक्षों को सुना गया तथा कहा गया कि कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करे लेकिन अपीलांत द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई) के आधार पर कुर्रेजात आ चुके थे इसलिए उक्त आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवदेन किया ।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया ।

7. पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक डिक्री की अपील पर राजस्व अपील अधिकारी ने प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था कि तनकीवार पूर्ण साक्ष्य व विवेचन के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को तकनीवार निर्णय कर अंतिम डिक्री जारी की। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन कुर्रेजात को स्वीकार किया उनमें रकबा हिस्से मुताबिक दर्ज है तथा लगान भी हिस्से मुताबिक दर्ज है। अपीलांत का यह कथन कि 25 वर्ष पूर्व कोई बाहमी बंटवारा (विभाजन) हुआ था तो उस विभाजन में कितनी भूमि का किस आधार पर बंटवारा हुआ उसका विधिक रूप से पूर्ण विवरण एवं राजस्व रेकार्ड उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त दोनों खसरा नंबरों का विधिक रूप से बाहमी बंटवारा पक्षकारों के मध्य हो गया हो।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व में और उसके पश्चात दोनों पक्षों को सुना तथा यह भी कहा कि उक्त संबध में कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करें। प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव मय मौका नक्शा व नकल जमाबंदी व तहसीलदार, बुहाना द्वारा नोट में अंकित रिपोर्ट के अवलोकन करने पर पाया गया कि जगदीश पुत्र हेतराम के घर पर सूचना हेतु बार-बार गये थे तथा मौका रिपोर्ट के समय मौके पर जगदीश का पुत्र मुकेश उपस्थित था परन्तु उसने हस्ताक्षर नहीं कर विभाजन से संतुष्ट नहीं होना

अवगत कराया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव मय नक्शा मौका किशतवार न्यायालय में प्रदर्श करवाये गये। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु आगे क्रमशः तारीखें 16.2.04, 17.02.04, 04.03.04 दी गयी। दिनांक 04.03.04 को प्रतिवादी पक्ष की ओर से अभिभाषक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में प्रस्तुत विभाजन प्रस्तावों के संबंध में आगे तारीख पेशी दिनांक 11.03.04, 20.03.03, 25.03.04, 07.04.04 दी गयी। परन्तु प्रतिपक्ष द्वारा कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं गयी। फिर भी यह कहा जाना कि उसे सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया मिथ्या है।

9. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त प्रकरणों में समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय भी पारित किये गये हैं वह विधिसम्मत व न्यायसंगत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

10. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य